राजस्थान–सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः प.1/प्रति.3/नर्स.कम्पा./भर्ती/2021/ दिनांकः

आदेश

कार्यालय के आदेश क्रमांकः प.1/प्रति.3/न.क./भर्ती/2021/10694 दिनांक 24.05.2022 के द्वारा राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 संशोधित नियम 2010 एवं संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत कम्पाउन्डर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या **1/2021 एवम् 2/2021 के अन्तर्गत** डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से प्राप्त अन्तरिम वरियता सूची के अनुसार कविता कुमारी गुर्जर पुत्री श्री किशन लाल को राजकीय आयुर्वेद औषधालय गुडली(मावली) जिला उदयपुर में नियुक्ति प्रदान की गई थी ।

उप निदेशक आयुर्वेद विभाग उदयपुर के पत्र कंमाक 1608–09 दिंनाक 28.05.2022 द्वारा निवेदन किया गया हैं कि नव नियुक्त नर्स/कम्पाउण्डर कविता कुमारी गुर्जर पुत्री किशनलाल गुर्जर नियुक्त क्रम संख्या 295 वरियता क्रमांक 576 से कार्यग्रहण करते समय पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उपरोक्त अभ्यर्थीया के विरूद्व सलंग्न प्रमाण पत्र अनुरूप अपराध मुकदमा पंजीकृत होना पाया गया, साथ ही उक्त अभ्यर्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2022 को प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रकरण संख्या 725/2020 दिंनाक 12.12.2020 धारा 341, 323, 365, 147, 149, भादस थाना परतापनगर जाली उदयपुर मे दर्ज/पंजीकृत हो जरीये चार्ज सीट नं. 85/2021 दिनाक 28.02.2021 कर्ता की गई जो अभी ट्रायल पर चल रही हैं ।

उल्लेखित हैं कि सुसंगत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थिया पर लगाये गये अपराध आई0पी0सी0 की धारा 147, 148 (बलवा) जो अध्याय 16,17 मे अभिवर्णित हैं एंवम कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के बिन्दु संख्या 1 के बिन्दु 5–भारतीय दंड सहिता के अध्याय 16 एंव 17 में यथावर्णित अपराधों मे अंतर्वलितता हो एंवम् बिन्दु 6– भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148 (बलवा करना) के अपराध मे अंतर्वलितता हो के अन्तर्गत अपात्रता की श्रेणी मे आते हैं ।

अतः इस कार्यालय के प क्रमांकः प.1/प्रति.3/न.क./भर्ती/2021/10694 दिनांक 24.05.2022 के द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की क्र.सं. 295 वरियता क्रमांक 576 पर अंकित कविता कुमारी गुर्जर पुत्री किशनलाल आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर राज.आयु.औष. गुडली(मावली) जिला उदयपुर के **नियुक्ति आदेश कार्मिक विभाग के परिपत्र दिंनाक 04.12.2019 के आधार पर अपात्र मानते हुये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं।**

//
(डॉ0 आनन्द कुमार शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः प.1/प्रति.3/नर्स.कम्पा./भर्ती/2021/ 12872
दिनांकः 5/7/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्री महोदय, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग राजस्थान–जयपुर।
3. उप शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग राजस्थान–जयपुर।
4. कुल सचिव, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. उप विधि परामर्शी, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
6. अति.निदेशक आयुर्वेद विभाग,,उदयपुर–राजस्थान ।
7. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर को दी जाकर लेख है कि संबंधित को नियुक्ति आदेश निरस्त आदेश की प्रति तामील कराते हुये निदेशालय को सूचित करे ।
8. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को वास्ते वेबसाईट अपलोड ।
9. संबंधित आशार्थी को द्वारा:– विभागीय वेबसाईट।
10. सामान्य पत्रावली ।

(डॉ मोहन सिंह मीणा)
सहायक निदेशक